# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/941 दिनांक :- 29/11/17

## -:: अधिसूचना ::-

विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.10.2017 के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

''स्नातक व स्नातकोत्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में क्रमशः 5 व 3 वर्ष की अवधि की बाध्यता समाप्त करने विषयक,विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल,के पत्र क्रमांक/1868/ 198/सीसी/17/38, भोपाल,दिनांक 09.10.2017,के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जावे।''

01. स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों की अधिकतम अवधि 5 व 4 वर्ष रखी जाए।
02. यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारणवश उक्त अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता है। तो कुलपति महोदय की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर उस विद्यार्थी को 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जायेगा, जिसमें उसको अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
03. यदि कोई विद्यार्थी पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि (स्नातक 5 एवं स्नातकोत्तर 4 वर्ष) एवं 1 वर्ष एक्सटेंशन का उपयोग करने के बाद भी पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसको शेष पाठ्यक्रम स्वाध्यायी छात्र के रूप में पंजीकृत हो कर उत्तीर्ण करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि एवं उपस्थिति का बंधन बाध्यकारी नहीं होगा।
04. ऐसे स्वाध्यायी विद्यार्थियों को उसके द्वारा पूर्व में उत्तीर्ण किये गये प्रश्नपत्र के अंकों/क्रेडिट का लाभ मिलेगा,परंतु उसका परीक्षा परिणाम प्रवीण्ता सूची के लिये मान्य नहीं होगा।
05. इस प्रकार निर्धारित अवधि के उपरांत स्वाध्यायी रूप में परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को जिस वर्ष परीक्षा में भाग लेना है उसी वर्ष का पाठ्यक्रम (यदि पूर्व के पाठ्यक्रम में संशोधन आदि हुआ हो तो) एवं उसी वर्ष के अद्यतन अन्य सभी पाठ्यक्रम एवं अकादमिक प्रावधानों का पालन करते हुए उसी के अनुसार परीक्षा दी जानी होगी। विश्वविद्यालय पूर्व के मापदण्डों में इस प्रकार के स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिये पृथक से कोई प्रावधान करने के लिये बाध्य नहीं होगा।
06. उपरोक्त नियम मात्र सामान्य पाठ्यक्रमों पर मान्य होंगे तथा विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे।

(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 नवम्बर 2017 द्वारा अनुमोदित)

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/942 दिनांक :- 29/11/17

**प्रतिलिपि :-**

01. विभागाध्यक्ष/निदेशक, समस्त अध्ययनशाला/संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. समस्त संकायाध्यक्ष, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. प्राचार्य, समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय,परिक्षेत्र।
04. समस्त अधिकारीगण,समस्त विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
05. प्रभारी, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
06. प्रभारी,कम्प्यूटर सेंटर,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन की ओर प्रेषित कर सूचित है कि,उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
07. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

Dextop/P.Meeting/420